



राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन 2018-19

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम
लिमिटेड

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि०

1. निगम की स्थापना :

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की वर्ष 2010-11 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ बनाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि० की दिनांक 08.12.2010 को स्थापना की गई थी।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि० का रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12.2010 को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है तथा रजिस्ट्रार कम्पनी मामलों, राजस्थान जयपुर से दिनांक 27.12.2010 को निगम द्वारा व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

2. निगम की अंश पूँजी :

निगम की अधिकृत अंश पूँजी 100 करोड रुपये है। वर्तमान में प्रदत्त अंश पूँजी 50 करोड रुपये है। 50 करोड रुपये के अंशों में से 49.93 करोड रुपये के अंश महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हैं तथा शेष 7.00 लाख रुपये के अंश निगम के सात सदस्यों के नाम हैं।

3. निगम का संचालक मण्डल :

क्र.सं.	पद नाम	संचालक मण्डल में पद
1.	शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग	निदेशक
3.	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	निदेशक
4.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	निदेशक
5.	रजिस्ट्रार सहकारी समितियों	निदेशक
6.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	निदेशक
7.	उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-I) विभाग	निदेशक

4. निगम के विगत चार वर्षों के वित्तीय परिणाम :

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17 (अनुमानित)
1.	Profit before interest & Depreciation	944.25	1396.62	1598.07	698.67

2.	Less: interest	Nil	688.15	638.5	30.27
3.	Operational Profit/Loss	944.25	708.47	959.57	668.40
4.	Less: Depreciation	40.71	60.87	17.49	14.63
5.	Profit/Loss after interest & Depreciation	903.54	647.6	942.08	653.77
6.	Profit/Loss for appropriation	504.63	515.02	566.35	348.26

- i. वर्ष 2016-17 का वैधानिक अंकेक्षण का कार्य प्रगति पर है अतः उपरोक्त आंकड़े अनुमानित है।
- ii. वर्ष 2017-18 के लेखों का कार्य प्रगति पर है।

5. निगम के कार्य एवं उद्देश्य :

- 5.1 निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।
- 5.2 राज्य के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पी.डी.एस. सामग्री, बड़े निर्माताओं (Manufacturers) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।
- 5.3 चूंकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति एवं व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहाँ केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नहीं हैं वहाँ राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जहाँ पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा, वहाँ पर निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।
- 5.4 बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य-तेल, चीनी आदि के दाम बढ़ने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।
- 5.5 इसके साथ ही निगम उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के अतिरिक्त गैर पी.डी.एस. सामग्री जैसे आयोडाइज्ड नमक, चाय, वांशिंग सोप, पिसे हुए मसालें आदि भी उपलब्ध कराता है ताकि आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर प्राप्त हो सके।

5.6 निगम राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अन्तर्गत अन्य कार्य भी करेगा।

6. निगम में स्वीकृत पदों की स्थिति :

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक 24.11.2010 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए पदों एवं सेवाओं के सृजन की स्वीकृति जारी की गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों विभाग के आदेश दिनांक 24.11.2010, 28.06.2011, 27.12.2012 एवं 04.06.2013 के द्वारा निगम हेतु स्वीकृत/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	कार्यालय स्तर	स्वीकृत	कार्यरत (अस्थाई व्यवस्था के रूप में कार्यरत कर्मिकों सहित)	रिक्त	रिक्तियों के कारण अस्थाई व्यवस्था के रूप में कार्यरत कर्मिक
1.	निगम कार्यालय (मुख्यालय)	59	59	0	0
2.	जिला कार्यालय	306	274	32	0
3	तहसील स्तर	488	145	343	—

7. राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि० के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न एवं चीनी के थोक विक्रेता का कार्य:-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2010-11 की बजट घोषणा के अनुरूप निगम का गठन करते हुये भारतीय खाद्य निगम से गेहूं का उठाव कर तथा चीनी मीलों से लेवी चीनी का उठाव कर उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करने का दायित्व निगम को सौंपा गया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा दिनांक 11.04.2011 को आदेश जारी कर राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि० जयपुर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न/चीनी के उठाव एवं वितरण के लिये सम्पूर्ण राज्य हेतु राज्य स्तरीय प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया हुआ है।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली:-

i. खाद्यान्न की आपूर्ति:-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह लगभग 2.32 लाख मैट्रिक टन गेहूं आवंटन किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूं का उठाव कर पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराने हेतु प्रतिमाह उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करने का कार्य राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. के जिलों में पदस्थापित प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति के द्वारा थोक विक्रेता के रूप में किया जा रहा है। वर्तमान में चरणबद्ध रूप से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के तहत ई-निविदा आमंत्रित कर परिवहनकर्ता के माध्यम से प्रदेश के 22 जिलों में खाद्यान्न परिवहन का कार्य किया जा रहा है। शेष जिलों में क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से खाद्यान्न आपूर्ति का कार्य कराया जा रहा है।

9. पीडीएस के अन्तर्गत चीनी का वितरण

- i. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, भारत सरकार ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र **No.2 (1)/2017-SP-I** दिनांक 12.05.2017 के द्वारा उक्त योजना को संशोधित कर ,सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुदानित चीनी वितरण योजना अब केवल अन्तोदय परिवार (AAY) तक सीमित कर दी गयी है। माह अप्रैल 2017 से प्रत्येक अन्तोदय परिवार(AAY) को 1 किलो चीनी प्रति माह उपलब्ध करवाने के दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।
- ii. संशोधित योजना के अन्तर्गत अन्तोदय परिवारों को 24.50 रुपये प्रतिकिलो मय 5 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित कर वितरण किये जाने के आदेश दिनांक 29.11.2017 को जारी किये जा चुके हैं।
- iii. चीनी की आपूर्ति :- जून 2013 से मार्च 2017 तक के आवंटन के विरुद्ध लक्षित वर्ग (अन्तोदय एवं बी.पी.एल) को अनुदानित चीनी उपलब्ध करवायी जा चुकी है। नई व्यवस्था के तहत अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2018 तक के आवंटन के विरुद्ध अन्तोदय परिवारों को अनुदानित चीनी उपलब्ध करवा दी गई है एवं अक्टूबर,2018 से दिसम्बर, 2018 का आवंटन जारी किया जा चुका है, जिसकी आपूर्ति जारी है एवं वितरण की कार्यवाही की जा रही है।
- iv. केन्द्र सरकार का अनुदान :- सितम्बर,2018 तक की चीनी आपूर्ति के विरुद्ध चीनी अनुदान के समस्त क्लेम चीनी निदेशालय भारत सरकार को भिजवाकर समस्त अनुदान प्राप्त कर लिया गया है।

- v. राज्य सरकार का अनुदान:— मार्च 2017 तक की अन्तर राशि के समस्त क्लेम राज्य सरकार से प्राप्त कर लिये गये हैं।

उक्त दरें अन्त्योदय परिवारों को आपूर्ति की जानी वाली चीनी पर प्रभावी होगी। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में माहवार आवंटन के विरुद्ध वितरण का विवरण :-

चीनी आवंटन एवं वितरण की त्रैमासिक रिपोर्ट

दिनांक 31.12.2018

(मै.टन में)

क्र. स.	त्रैमासिक	आवंटन	वितरण
1	अप्रैल, 2017 से जून, 2017	2025.654	95.91
2	जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2017	2025.654	482.46
3	अक्टूबर, 2017 से दिसम्बर, 2017	2025.654	1163.36
4	जनवरी, 2018 से मार्च, 2018	2025.654	1237.24
5	अप्रैल, 2018 से जून, 2018	778.41	1129.6
6	जुलाई, 2018 से सितम्बर, 2018	895.15	1105.37
7	अक्टूबर, 2018 से दिसम्बर, 2018	1118.45	1019.89

10. गैर पीडीएस वस्तुओं का विपणन कार्य :

परिचय :-

- i. राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा राज्य की समस्त उचित मूल्य दुकानों माध्यम से आम उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग में काम में आने वाली गुणवत्तापूर्ण वस्तुयें, सही वनज, किफायती एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर जनसाधारण को उपलब्ध हो सकती है।
- ii. योजनान्तर्गत निगम के माध्यम से वितरित वस्तुएं जैसे नमक, चाय, मसाले, टायलेट सोप, वाशिंग सोप, अगरबत्ती आदि को आमजन उपभोक्ता बिना राशन कार्ड निर्धारित दर पर उचित मूल्य दुकान से क्रय की जा सकती है।
- iii. माह मई, 2018 में मैसर्स आर. एस. बजाज टी कम्पनी द्वारा जमा प्रतिभूति राशि रूपये 57.60 लाख जब्त कर निगम खाते में जमा करवादी गई।
- iv. वर्तमान में नॉन पीडीएस शाखा के सभी निविदाओं की अवधि समाप्त हो चुकी है।

11. अन्नपूर्णा भण्डार योजना :

i. योजना का परिचय एवं उद्देश्य :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से जनसाधारण को उचित मूल्य दुकानों से उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्रॉण्ड उपभोक्ता वस्तुएँ उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराने की अवधारणा को "अन्नपूर्णा भण्डार योजना" के रूप में मूर्त रूप देते हुये दिनांक 31.10.2015 को प्रथम अन्नपूर्णा भण्डार का जयपुर जिले के भम्भोरी ग्राम में शुभारम्भ किया गया ।

ii. प्रगति :-

- बजट अभिभाषण वर्ष 2015-16 के बिन्दु संख्या 189 की अनुपालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 5000 उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भण्डारों के रूप में रूपान्तरित किया जाने के उपरान्त मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद् द्वारा दिनांक 14.02.2017 को समीक्षा बैठक में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में 2500 नवीन अन्नपूर्णा भण्डार खोले जाने हैं जिसकी पालना में दिनांक 20.08.2018 तक 6715 अन्नपूर्णा भण्डारों पर आपूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है।
- अन्नपूर्णा भण्डारों पर सितम्बर,2015 से अगस्त,2018 तक लगभग 212 करोड़ रुपये की बिक्री हुई है तथा राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को 1 प्रतिशत की दर से लगभग 212 लाख रुपये (टैक्स सहित) की आय कमीशन के रूप में अर्जित की है।
- मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 18.12.2017 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में शासन सचिव, खाद्य की अध्यक्षता में दिनांक 03.05.2018 को डीलरों हेतु कॉन्टेक्ट प्रोग्राम सीकर में आयोजित किया गया था।

iii. कार्य योजना :-

- अन्नपूर्णा भण्डार योजना का नवीन टेण्डर प्रक्रियाधीन है।
